"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2016—— कार्तिक 2, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 1592/V-14-01/2004. — छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 2-जी, धारा 7 (2) (ए) एवं (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "सेवानिवृत्ति के पश्चात् परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत स्कीम, 2003" में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त स्कीम की कंडिका-11 में "400.00 रुपये (चार सौ रुपये) पारिश्रमिक के स्थान पर 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये) पारिश्रमिक" एवं "100 रुपये वाहन भत्ते के स्थान पर 200/- (दो सौ रुपये) वाहन भत्ते" तथा शब्द "हकदार होगा" के पश्चात् "प्रासंगिक व्यय के रुप में 200/- (दो सौ रुपये) भी देय होगा" प्रतिस्थापित किया जावे.

No. 1592/V-14-01/2004. — In exercises of the powers conferred by clause (g) of Section 2 read with clause (a) (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the State Authority hereby makes the following amendments in the PERMANENT AND CONTINUOUS LOK ADALAT FOR POST RETIRAL BENFIT SCHEME, 2003, namely :-

AMENDMENT

In colum No. 11- In place of "Rs. 400/- (Rs. Four Hundred only) remuneration Rs. 1000/- (Rs. One thousand only) and in place of "Rs. 100/- (Rs. Hundred only) conveyance allowance Rs. 200/- (Rs. Two Handred only)" and after the word "per sitting" "also Rs. 200/- (Rs. Two Hundred only) incidental charge will be payble." shall be substituted.

आदेशानुसार,

हस्ता./-
(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.